## बिहार सरकार विधि विभाग

# बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025



अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित 2025

# बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
- 2. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अधिनियम VI. 1935) की धारा–11ख के बाद नई धारा–11ग का जोड़ा जाना।

## बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अधिनियम VI, 1935) का संशोधन करने के लिये विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ |--
  - (1) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- 2. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अधिनियम VI, 1935) की धारा—11ख के बाद नई धारा—11ग का जोड़ा जाना |— उक्त अधिनियम की धारा—11ख के बाद निम्नलिखित नई धारा—11ग जोड़ी जाएगी, यथा :—

"बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित समितियाँ, जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा गठित एवं संपोषित हैं, वैसे समितियों को इस अधिनियम के अधीन निबंधित सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान अथवा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 या निर्मित नियमावली या निर्गत आदेश अथवा उपविधियों में वर्णित किसी प्रतिकूल या असंगत बात के होने पर भी इस उपधारा के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा।"

## उद्देश्य एवं हेतु

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा गठित एवं संपोषित बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 के अधीन गठित समितियों को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत गठित सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाये जाने हेतु वर्तमान में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में प्रावधान नहीं है। अतः अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों का क्षमतावर्द्धन कर उनके स्वरोजगार के आयामों को सुदृढ़ किया जायेगा एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थान महिलाओं के संगठनात्मक प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता का प्रतीकात्मक स्वरूप होगा।

इसलिए अब उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।

> (डॉ0 प्रेम कुमार) मार-साधक सदस्य

#### A

#### BILL

To amend the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 (Act VI, 1935).

Be it enacted by the Bihar State Legislature in the seventy-sixth year of the Republic of India as follows:

- 1. Short title, extent and commencement.-
  - This Act may be called the "Bihar Co-operative Societies (Amendment) Act, 2025".
  - (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
  - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- Addition of a new Section IIC after Section IIB of the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 (Act VI, 1935).- In the said Act after section IIB a new Section IIC shall be added as follows; namely

"Co-operative Societies formed and sponsored by Bihar Rural Livelihoods Promotion Society registered under the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996 may become the member of an affiliating society under this Act, Notwithstanding anything contrary or inconsistent contained in any other provisions of this Act or the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996 or rules framed thereunder or bye-laws of any registered society or orders issued thereunder, the provision of this sub-section shall have overriding effect."